an>

Title: Introduction of the Clinical Trial of Drugs on Patients (Regulation) Bill, 2016·

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि देश में विभिन्न औÂषधियों के क्लीनिकल भेषजगुण विज्ञान या प्रतिकूल प्रभावों का सत्यापन करने, उनकी सुरक्षा और प्रभावोत्पादकता का अवधारण करने, और इन कंपनियों द्वारा किसी भी सूचना या संविदा के अभाव में इन परीक्षणों के अधीन रोगियों के हितों का संरक्षण करने क लिए विभिन्न भेÂ◌ाज कंपनियों द्वारा रोगियों पर क्लीनिकल परीक्षणों का विनियमन और उससे संबंधित या उसके आनषंगिक विÂषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to regulate clinical trials of various new drugs on patients being conducted by various pharmaceutical companies in the country to verify their clinical pharmacology or adverse effects; to determine their safety and efficacy; and to protect the interests of patients undergoing these trials in the absence of any information or contract by these companies and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्रीमती रमा देवी: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।